न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 23 / 2023

अनवान : –

1. पतराम पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. बनवारी पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. बद्रीप्रसाद पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. सोहनलाल पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी पोहड़का तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय   दिनांकः 18/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 276 / 225 की कुल 12.4720 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के नाम एवं खाता संख्या 267 / 225 की कुल 12.4720 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 267 / 225 की कुल 12.4720 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण रोही मौजा बरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 611 / 610 की कुल की कुल 4 चार खसराजात की 0.6740 हैक्ट भूमि में प0न0 97 / 3 के मु0न0 574 के किला न0 1 / 2 की 0.0700 हैक्ट किला न0 10 / 2 की 0.0710 हैक्ट भूमि में से उत्तर से दक्षिण की तरफ पश्चिम की ओर होते हुए अपने खेत में प्रवेश करता है जो कि प्रार्थीगण के लिए सुविधाजनक नजदीक व सरल सुगम रास्ता है जिसमें प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करते है। उक्त रास्ता गै0मु0 दर्ज नही होने के कारण प्रार्थीगण को आये दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थीगण उक्त रास्ता को गै0मु0 दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी स0 1 का उक्त रास्ते के संबंध में बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक प्रार्थीगण अपने खेत में अप्रार्थी स0 1 की कृषि भूमि प0न0 97 / 36 के मु0न0 574 के किला न0 1 / 2 व 10 / 2 के उत्तर से [illegible] की तरफ पश्चिम की और दो–दो बिस्वा यानि 0.025 हैक्ट, 0.025 हैक्ट प्रत्येक [illegible] प्रवेश करते है को प्रार्थीगण गै0मु0 रास्ता दर्ज करवा लेवे व बदले के प्रार्थीगण अप्रार्थीगण स0 1 को चिपते [illegible]0न0 97 / 28के मु0न0 575 के किला न0 15 के उत्तर पूर्वी कोने [illegible] 4 बिस्वा यानि 0.050 [illegible] भूमि दर्ज की जावें। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्तानुसार आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:49:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी को उसकी खातेदार भूमि में जाने के लिए गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके अनुसार जिसके मुताबिक प्रार्थीगण अपने खेत में अप्रार्थी स0 1 की कृषि भूमि प0न0 97/36 के मु0न0 574 के किला न0 1/2 व 10/2 के उत्तर से दक्षिण की तरफ पश्चिम की और दो–दो बिस्वा यानि 0.025 हैक्ट, 0.025 हैक्ट प्रत्येक भूमि प्रत्येक बीघा में प्रवेश करते है को प्रार्थीगण गै0मु0 रास्ता दर्ज करवा लेवे व बदले में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण स0 1 को चिपते हुए प0न0 97/28के मु0न0 575 के किला न0 15 के उत्तर पूर्वी कोने में 4 बिस्वा यानि 0.050 हैक्ट भूमि दर्ज की जावें अधिवक्ता अप्रार्थी स0 1 ने भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता के संबंध में नजरिया नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिस पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायलान एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 611/610 के प0न0 97/36 के मु0न0 574 के किला न0 1/2 व 10/2 के उत्तर से दक्षिण की तरफ पश्चिम की और दो–दो बिस्वा यानि 0.025 हैक्ट, 0.025 हैक्ट का गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में प्रार्थी अप्रार्थीगण को प0न0 97/28के मु0न0 575 के किला न0 15 के उत्तर पूर्वी कोने में 4 बिस्वा यानि 0.050 हैक्ट भूमि देगा। किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/9/23...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:49:05 IST
Reason: SelfAttested